https://farid.ps/articles/relocate_unga_to_geneva/hi.html

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते का गंभीर उल्लंघन और जिनेवा में स्थायी स्थानांतरण के लिए तर्क

संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए मौजूद है जहां संप्रभु राष्ट्र समान रूप से विचार-विमर्श करते हैं। यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत केवल तभी व्यवहार्य है जब सभी सदस्य राष्ट्र बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के संगठन के मुख्यालय तक पहुंच सकें।

1947 का मुख्यालय समझौता संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इस सिद्धांत को संहिताबद्ध करता है। मेजबान देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक और वहां से आने-जाने में बाधा न डालने का वचन दिया। फिर भी, हाल के घटनाक्रम - विशेष रूप से **सितंबर 2025 में फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को वीजा से इनकार** और कुछ दिनों बाद **कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वीजा रद्द करना** - दिखाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। ये अलग-थलग गलतियां नहीं हैं, बल्कि मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति के आलोचकों को निशाना बनाने वाले एक राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा हैं।

ऐसा आचरण मुख्यालय समझौते का **गंभीर उल्लंघन** है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, एक गंभीर उल्लंघन दूसरी पक्ष - इस मामले में, संयुक्त राष्ट्र - को अपनी बाध्यताओं को निलंबित करने या समाप्त करने का अधिकार देता है। **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 20** के तहत अपनी प्राधिकार का प्रयोग करते हुए, महासभा को अपनी सत्रों को स्थायी रूप से जिनेवा में स्थानांतरित करके जवाब देना चाहिए।

कानूनी तर्क: मुख्यालय समझौते का गंभीर उल्लंघन

मुख्यालय समझौते का अनुच्छेद 13 संयुक्त राज्य अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के लिए बिना किसी बाधा के पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह दायित्व पूर्ण है: यह किसी प्रतिनिधि के भाषण के राजनीतिक सामग्री या संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रतिनिधि के देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर निर्भर नहीं करता।

2025 में उल्लंघन के सबूत

- **फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को वीजा से इनकार**: संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास सहित फिलिस्तीनी अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया, जिससे महासभा में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी रुक गई। अब्बास ने 25 सितंबर 2025 को महासभा को दूरस्थ रूप से संबोधित किया।
- **राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वीजा रद्द करना**: 27 सितंबर को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेट्रो का वीजा रद्द कर दिया, जब उन्होंने न्यूयॉर्क में एक फिलिस्तीन समर्थक रैली में भाग लिया और इजरायल के प्रति अमेरिकी नीति की आलोचना की।
- **व्यापक पैटर्न**: ये कार्रवाइयां संयुक्त राज्य अमेरिका की उन प्रतिनिधिमंडलों को बाधित करने की व्यापक प्रवृत्ति में फिट होती हैं जिन्हें राजनीतिक रूप से असुविधाजनक माना जाता है।

1988 का नजीर स्पष्ट है: जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने यासर अराफात को वीजा देने से इनकार किया, तो महासभा ने जिनेवा में अपनी सत्र आयोजित करने के लिए मतदान किया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी बाध्यताओं को भंग करने की क्षमता और सभा की कार्रवाई करने की प्राधिकार दोनों को दर्शाता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गंभीर उल्लंघन

1969 की वियना संधि संधियों के कानून पर का अनुच्छेद 60 एक गंभीर उल्लंघन को संधि के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रावधान का उल्लंघन के रूप में परिभाषित करता है। मुख्यालय समझौते का उद्देश्य ही सार्वभौमिक पहुंच की गारंटी देना है। बार-बार वीजा से इनकार और रद्दीकरण इस उद्देश्य को सीधे कमजोर करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र, गैर-उल्लंघन करने वाली पक्ष के रूप में, समझौते को शून्य मानने का हकदार है।

महासभा की स्थानांतरण की प्राधिकार

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 20 यह निर्धारित करता है कि महासभा "ऐसे समय और स्थान पर मिलेगी जैसा कि वह स्वयं निर्धारित करे।" यह प्राधिकार सुरक्षा परिषद से स्वतंत्र है; बैठक स्थलों पर कोई वीटो नहीं है।

इस प्रकार, महासभा एक प्रस्ताव को अपनाने में सक्षम है जो:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका को मुख्यालय समझौते का गंभीर उल्लंघन करने वाला घोषित करता है;
2. अपनी बैठक के स्थान को निर्धारित करने की प्राधिकार की पुन: पुष्टि करता है;
3. अपनी सत्रों को जिनेवा में स्थानांतरित करता है।

यदि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका विरोध करता है, तो विवाद **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** के समक्ष है। मुख्यालय समझौते का अनुच्छेद 21 पहले से ही मध्यस्थता और, यदि वह विफल हो, तो ICJ की अधिकारिता प्रदान करता है। महासभा चार्टर के अनुच्छेद 96 के तहत **सलाहकारी राय** भी मांग सकती है।

जिनेवा में स्थानांतरण की व्यावहारिक संभावना

जिनेवा पहले से ही **संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय (UNOG)**, **विश्व स्वास्थ्य संगठन**, **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन**, **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त** और कई अन्य एजेंसियों की मेजबानी करता है। Palais des Nations ने 1988 में महासभा की मेजबानी की और हाल ही में 2025 में UNCTAD16 जैसे प्रमुख सम्मेलनों के माध्यम से अपनी स्केलेबिलिटी को प्रदर्शित किया।

राजनयिक मिशन

लगभग सभी सदस्य राष्ट्र पहले से ही जिनेवा में स्थायी मिशन बनाए रखते हैं। स्थानांतरण के लिए विस्तार की आवश्यकता होगी, लेकिन न्यूयॉर्क में कार्यालयों को बंद करने या कम करने से होने वाली बचत से लागत की भरपाई होगी, जहां रियल एस्टेट और जीवन यापन की लागत बहुत अधिक है।

मेजबान देश ढांचा

स्विट्जरलैंड के पास संयुक्त राष्ट्र के संचालन के लिए एक लंबे समय से स्थापित कानूनी ढांचा है। मेजबान देश के समझौते का विस्तार सुचारू रूप से किया जा सकता है, यह देखते हुए कि जिनेवा पहले से ही संयुक्त राष्ट्र का केंद्र है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लागत

- **रोजगार**: संयुक्त राष्ट्र सचिवालय न्यूयॉर्क में **7,500–8,000 कर्मचारियों** को रोजगार देता है, जिनमें से कई अमेरिकी नागरिक या निवासी हैं। उनकी प्रस्थान सीधे स्थानीय रोजगार को कम करेगा।
- **ठेकेदार**: खानपान, सफाई, परिवहन और सम्मेलन सेवा फर्म महत्वपूर्ण अनुबंध खो देंगे।

राजनयिक मिशनों से संबंधित नुकसान

- **स्थायी मिशन**: न्यूयॉर्क में ~190 राजनयिक मिशनों का बंद होना या छोटा होना कार्यालयों, अपार्टमेंट्स और सहायता सेवाओं की मांग को कम करेगा। हजारों स्थानीय कर्मचारी प्रभावित होंगे।

पर्यटन और आतिथ्य

- **महासभा सप्ताह**: हजारों राजनयिकों, मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों की वार्षिक आमद न्यूयॉर्क के आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों में लाखों डॉलर का निवेश करती है।
- **कुल योगदान**: अध्ययन अनुमान लगाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र समुदाय न्यूयॉर्क की अर्थव्यवस्था के लिए **3.69 अरब डॉलर प्रतिवर्ष** उत्पन्न करता है, जो लगभग **16,000 नौकरियों** का समर्थन करता है। एक दशक में, संचयी नुकसान **40 अरब डॉलर** के करीब होगा।

प्रतीकात्मक और रणनीतिक लागत

- **नरम शक्ति का नुकसान**: संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी वाशिंगटन को विश्व नेताओं तक दैनिक पहुंच प्रदान करती है। स्थानांतरण इसे इस अद्वितीय राजनयिक लाभ से वंचित करेगा।
- **भू-राजनीतिक हार**: यह कदम इस बात का सबूत माना जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक तटस्थ मेजबान के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता, जिससे नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का नेतृत्व करने का इसका दावा कमजोर होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिवादों की प्रत्याशा

- **सीमाओं को नियंत्रित करने का संप्रभु अधिकार**: संयुक्त राज्य अमेरिका यह तर्क दे सकता है कि वीजा निर्णय संप्रभु कृत्य हैं। फिर भी, मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करके, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संदर्भ में अपनी संप्रभुता को स्पष्ट रूप से सीमित किया।
- **सुरक्षा औचित्य**: संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद या सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला दे सकता है। लेकिन आलोचकों का व्यवस्थित इनकार, न कि सुरक्षा जोखिम, राजनीतिक मंशा को प्रकट करता है।
- **बजट लीवरेज**: वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपने 22% योगदान को रोकने की धमकी दे सकता है। लेकिन ऐसी धमकियां केवल बुरे विश्वास की धारणाओं को मजबूत करेंगी और संयुक्त राष्ट्र के वित्तपोषण के विविधीकरण को तेज कर सकती हैं।

महासभा के लिए रोडमैप

1. **एक प्रस्ताव पारित करें** जो संयुक्त राज्य अमेरिका की वीजा प्रथाओं को मुख्यालय समझौते का उल्लंघन बताकर निंदा करता हो और अपनी बैठक का स्थान निर्धारित करने की महासभा की प्राधिकार की पुन: पुष्टि करता हो।
2. **ICJ से एक सलाहकारी राय का अनुरोध करें** स्थानांतरण के लिए कानूनी आधार को मजबूत करने के लिए।
3. **स्विट्जरलैंड के साथ बातचीत करें** स्थायी महासभा सत्रों के लिए मेजबान देश समझौते का विस्तार करने के लिए।
4. **चरणबद्ध स्थानांतरण** 2026 की महासभा सत्र से शुरू होकर जिनेवा में, फिर आवश्यकतानुसार अन्य मुख्यालय कार्यों तक विस्तार।

निष्कर्ष

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बार-बार राजनयिक मिशनों को राजनीतिक रूप से प्रेरित वीजा से इनकार और रद्द करने के माध्यम से बाधित करना मुख्यालय समझौते का **गंभीर उल्लंघन** है। महासभा को इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पास अपनी सत्रों को जिनेवा में स्थानांतरित करने के लिए कानूनी प्राधिकार और व्यावहारिक साधन दोनों हैं।

ऐसा स्थानांतरण संयुक्त राज्य अमेरिका को अरबों की आर्थिक हानि और एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा हार का कारण बनेगा, साथ ही संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की पुन: पुष्टि करेगा। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका इस निर्णय को चुनौती देता है, तो वह विवाद को ICJ के समक्ष ला सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के लिए निर्णायक रूप से कार्य करने का समय आ गया है। अपनी अखंडता, सार्वभौमिकता और विश्वसनीयता की रक्षा के लिए, महासभा को स्थायी रूप से जिनेवा में स्थानांतरित होना चाहिए।